न्यायालय सेशन न्यायाधीश, बून्दी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : **अजय शुक्ला,** आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग में)

सेशन प्रकरण सं0 : 03 / 2025

राजस्थान राज्य

वि रू द्व

(1) भीमा पुत्र बसंती उम्र 30 वर्ष,
निवासी हाड़ी पिपलिया पुलिस थाना मनासा, जिला नीमच (एम.पी.),
(2) पप्पू बाछड़ा पुत्र राजेंद्र कुमार उम्र 28 वर्ष,
निवासी तलाउ पुलिस थाना कुकड़ेश्वर, जिला नीमच (एम.पी.),
(3) शिवा बाछड़ा पुत्र बिलास उम्र 22 वर्ष,
निवासी हाड़ी पिपलिया डेरा नंबर 01, पुलिस थाना मनासा, जिला नीमच (एम.पी.),
(4) भैरूलाल पुत्र बग्गा उम्र 62 वर्ष,
निवासी गरासिया खेड़ी पुलिस थाना मनासा, जिला नीमच (एम.पी.)।

—अभियुक्तगण

बहस चार्ज का आदेश

उपस्थित :—

1. श्री भूपेन्द्र सहाय सक्सेना, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से,
2. श्री कुलदीप सिंह हाड़ा, अभियुक्त भैरूलाल के विद्वान अधिवक्तागण।

आ दे श

दिनांक : 27 फरवरी, 2025

1. इस आदेश के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया जा रहा है कि अभियुक्त भैरूलाल के विरूद्ध किन अपराधों के आरोप प्रथमदृष्टया बनना पाये जाते हैं ?

2. इस सम्बन्ध में राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त भैरूलाल का मुख्यतः यह तर्क रहा है कि अभियुक्त भैरूलाल लगभग 62 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है तथा उसे इस प्रकरण

में केवल इस आधार पर अभियुक्त बनाया गया है कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या आर.जे.09 सी.डी.6591 का रजिस्टर्ड स्वामी भैरूलाल है और इसके अलावा अन्य कोई साक्ष्य पत्रावली पर अभियुक्त भैरूलाल के विरूद्ध नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट भी अज्ञात के विरूद्ध दर्ज करवाई गई है, जबकि अभियुक्त भैरूलाल प्रश्नगत वाहन को घटना दिनांक से एक माह पहले ही इस प्रकरण के सह–अभियुक्त कपिल को बेचान कर चुका था। ऐसे में अभियुक्त भैरूलाल के विरूद्ध किसी भी अपराध का आरोप लगाये जाने बाबत् कोई आधार पत्रावली पर नहीं है। इन परिस्थितियों में अभियुक्त भैरूलाल को उक्त आरोपों से उन्मोचित किया जाये।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का विरोध करते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त भैरूलाल ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर पुलिस थाना हिण्डोली, जिला बूंदी के तहत आने वाले ग्राम सथूर में स्थित श्री रक्तदंतिका माताजी मंदिर में लूट कारित करने तथा पुजारियों के साथ गम्भीर मारपीट करने के उद्देश्य से अपराध कारित किया है, जिसमें पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान अभियुक्त भैरूलाल एवं अन्य सह–अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित होने के आधार पर धारा–395, 396, 397, 458, 120 बी. भा.दं.सं. के आरोप प्रमाणित पाये जाकर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त आरोपों में प्रसंज्ञान लेकर मामला इस न्यायालय को उपार्पित किया गया है। आरोप विरचित किये जाने के प्रक्रम पर अभिलेख पर विद्यमान समग्र साक्ष्य/सामग्री को मूल्यांकित करते हुए ही प्रथमदृष्टया मामला आकृष्ट होने अथवा नहीं होने का निष्कर्ष निकाला जाता है। अतः अभियुक्त भैरूलाल के विरूद्ध उक्त अपराधों के सन्दर्भ में आरोप विरचित किये जाकर उसके विरूद्ध अन्वीक्षा प्रक्रिया प्रारम्भ की जावे।

5. हमारे द्वारा उभय पक्ष के तर्को पर विचारपूर्वक मनन किया गया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया गया।

6. इस सम्बन्ध में अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट रहा है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त भैरूलाल के अतिरिक्त अन्य सह–अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–395, 396, 397, 458, 120 बी. भा.दं.सं. के तहत आरोप विरचित किये जाकर सुनाये जा चुके है। जहाँ तक अभियुक्त भैरूलाल द्वारा ली गई इस आपत्ति का प्रश्न है कि उसने प्रश्नगत वाहन को घटना दिनांक से एक माह पूर्व ही प्रकरण

के अन्य सह अभियुक्त कपिल को विक्रय कर दिया था तो इस स्तर पर उसका यह बचाव किसी प्रकार स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि प्रकरण के अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा यह पाया गया था कि घटना की तिथि तक प्रश्नगत जब्तशुदा वाहन अभियुक्त भैरूलाल के नाम ही पंजीकृत रहा था, जिसकी पुष्टि पुलिस द्वारा अनुसंधान में संकलित की गई साक्ष्य से होती है। ऐसे में इस प्रकरण में अभियुक्त भैरूलाल की संलिप्तता नहीं रही हो, यह नहीं माना जा सकता है। जहॉ तक बचाव पक्ष की ओर से प्रश्नगत जब्तशुदा वाहन अभियुक्त द्वारा घटना से एक माह पूर्व ही किसी अन्य सह–अभियुक्त कपिल को विक्रय कर दिये जाने का प्रश्न है तो इसे अन्वीक्षा प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ही गुणावगुण पर निस्तारित किया जा सकेगा, इसे अभियुक्त को उक्त अपराधों से उन्मोचित किये जाने का आधार नहीं माना जा सकता। वैसे भी आरोप की विरचना के प्रक्रम पर न्यायालय द्वारा केवल यह देखा जाना होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने बाबत् प्रथमदृष्टया पर्याप्त एवं सम्यक् सामग्री विद्यमान है अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त भैरूलाल के विरूद्ध उक्त अपराधों में आरोप विरचित किये जाने के सन्दर्भ में पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य/सामग्री विद्यमान होने से उसके विरूद्ध उक्त अपराधों के लिये आरोप विरचित किया जाना विधिसम्मत एवं औचित्यपूर्ण है।

7. फलतः अभियुक्त भैरूलाल के विरूद्ध धारा–395, 396, 397, 458 एवं 120 बी. भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराधों के सन्दर्भ में आरोप विरचित किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

(अजय शुक्ला)
सेशन न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)

8. आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सेशन न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)